कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांकः मान्यता/ 570 /2020

पत्रांकः/शिविर/ अस्थायी मान्यता/अ0स0प्रा0/ 544-45 /2020-21 दिनांकः 27-10-2020

प्रबंधक,
गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दमवतिया, रवीन्द्रनगर
विकास खण्ड-पडरौना
जनपद-कुशीनगर।

विषयः-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अस्थायी मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

नवीन शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अड़सठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 29 जून,2020 में उल्लिखित निर्देशानुसार आपके आवेदन दिनांकः 28-08-2020 और इस सम्बन्ध में विद्यालय में पश्चातवर्ती/पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश/ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता सम्बन्धी मानकों एवं शर्तो के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मैं **गीता इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल दमवतिया, रवीन्द्रनगर विकास खण्ड-पडरौना जनपद-कुशीनगर** को **कक्षा-1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम** हेतु दिनांक 27-10-2020 से दिनांक 26-10-2021 तक **(एक वर्ष)** की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ। उक्त शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अनुसार दिनांक 26-10-2021 (एक वर्ष) के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (संलग्नक-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश देना और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने पर तथा धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान उनमें से किसी आधार पर विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. **विद्यालय निम्नलिखित बातो को सुनिश्चित करेगाः-**

- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
- अध्यापक अधिनियम की धारा24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं का नही लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 970.00 वर्गमीटर।
- कुल निर्मित क्षेत्रफल– 494.48 वर्ग मीटर
- क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल– 2120.00 वर्गफिट।
- कक्षाओं की संख्या–05
- प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सह–भंडागार के लिए कक्ष–04
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय–04.
- पेयजल सुविधा–हैण्ड पम्प व आरोवाटर
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई–
  - बाधारहित पहुंच– आख्यानुसार उपलब्ध है
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता– आख्यानुसार उपलब्ध है।

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया–कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
12. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यकम मे न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
13. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह या किसी विषिष्ट, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
15. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या– 570 /2020 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी कियें जायें।
18. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
20. शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी
21. जिस विद्यालय भवन पद उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
22. मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते है अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं को उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।
23. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(विमलेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कुशीनगर।

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/अस्थायी मान्यता/अ0स0प्रा0/ /2020–21 दिनांक उक्तवत
प्रतिलिपिः–सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) सप्तम् मण्डल गोरखपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कुशीनगर।